

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 450]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 नवम्बर 2016—कार्तिक 16, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2016

क्र. एफ 24-7-2016-एक-10.—यतः दिनांक 30-31 अक्टूबर 2016 की दरम्यानी रात को सेन्ट्रल जेल, भोपाल से आठ विचाराधीन बंदियों के जेल से भागने और दिनांक 31 अक्टूबर 2016 को ग्राम मनीखेड़ी, थाना गुनगा, जिला भोपाल के निकट पुलिस के साथ मुठभेड़ में उक्त बंदियों की मृत्यु की घटना हुई है.

2. और, यतः, राज्य सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित विषयों में जांच किए जाने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है, अर्थात् :—

- (1) दिनांक 30 एवं 31 अक्टूबर 2016 की दरम्यानी रात्रि में केन्द्रीय जेल भोपाल से आठ विचाराधीन बन्दी किन परिस्थितियों एवं घटनाक्रम में जेल से फरार हुए? उक्त घटना के लिए कौन अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी हैं?
- (2) दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 को ग्राम मनीखेड़ा, थाना गुनगा, जिला भोपाल के निकट उक्त फरार आठ बंदियों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़, जिसमें सभी आठ बंदियों की मृत्यु हुई. किन परिस्थितियों एवं घटनाक्रम में हुई?
- (3) क्या उक्त मुठभेड़ में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही तत्समय विद्यमान परिस्थितियों में युक्तियुक्त थी?
- (4) कारागार से बंदियों के फरार होने की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके संबंध में सुझाव?
- (5) ऐसा अन्य विषय जो जांच के आनुषंगिक हो.

3. अतएव जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, एकल सदस्य अर्थात् श्री एस. के. पाण्डे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, जबलपुर से मिलकर बनने वाला एक जांच आयोग सार्वजनिक महत्व के उर्पयुक्त विषयों की जांच हेतु नियुक्त करती है.

4. आयोग का मुख्यालय, भोपाल मध्यप्रदेश में होगा.

5. आयोग इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 3 माह के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा.

क्र. एफ 24-7-2016-एक-10.—यतः राज्य सरकार की यह राय है कि की जाने वाली जांच की प्रकृति तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), (4) तथा (5) के समस्त उपबंधों को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 24-7-2016-एक-10, दिनांक 7 नवम्बर 2016 के अधीन नियुक्त आयोग को लागू किए जाने चाहिए,

अतएव, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निदेश देती है कि उक्त धारा की उपधारा (2), (4) तथा (5) के समस्त उपबंध उक्त आयोग को लागू होंगे.

No. F 24-7-2016-I-10.—WHEREAS, on the intervening night of 30th and 31st October 2016, eight under trial prisoners escaped from the Central Jail, Bhopal and on 31st October, 2016 incident of death of said prisoners has occurred in police encounter near Gram Manikhedhi, Thana Gunga, District Bhopal.

2. AND, WHEREAS the State Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of inquiry into the following matters of public interest namely:—

- (1) Circumstances and incidence under which eight undertrial prisoners escaped from Central jail in the intervening night of 30th and 31st October 2016. officers and employes responsible for such incidence?
- (2) Circumstances and incidence of Police encounter between eight absconded prisoners near Gram Manikhedhi, Thana Gunga, District Bhopal on 31st October, 2016 in which all eight prisoners died?
- (3) Whether said encounter done by police was reasonable under prevailing circumstances?
- (4) Suggestions to stop repetition of this incidence of absconding of prisoners from Jail.
- (5) Some other matters which are incidental to inquiry.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers Conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952) the state Government hereby, appoints a Commission of Inquiry consisting of single member, namely Shri S. K. Pande, Retired, High Court Judge, Jabalpur to inquire into the aforesaid matters of public importance.

4. The headquarters of Commission shall be at Bhopal, Madhya Pradesh.

5. The Commission shall complete its inquiry and submit its report to the State Government within 3 months from the date of publication of this notification.

No. F 24-7-2016-I-10.—WHEREAS, the State Government is of the opinion that, having regard to the nature of Inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-sections (2), (4) and (5) of Section 5 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) should be made applicable to the Commission under this Department's Notification No. F 24-7-2016-One-10. Dated: 07-11-2016.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section, the State Government, hereby, directs that all the provisions of sub-section (2), (4) and (5) of the said section shall apply to the said Commission.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
साधवी नागेन्द्र, अवर सचिव.